[illegible] हुई।

कुलाय डेरीकेन प०/P.O. साहब [illegible] है पत्रावली दिनांक 15/12/17 को पेश हो।

15/12/17 कुलाय डेरीकेन प०/P.O. साहब [illegible] है पत्रावली दिनांक 5/1/18 को पेश हो।

5/1/18 वकील वादी पेशकार उपस्थित [illegible] बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 16.1.18 को पेश हो।

SDOIC

16-1-18 वकील वादी उपस्थित। दावा वादीगण [illegible] फैसला किया जाता है [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] से दर्ज हो। [illegible]

SDOIC

1263/2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/116 सन् 2015

वउनवान

1. प्रभूदयाल पुत्र कुन्दन (मृतक)
2. घीसाराम पुत्र प्रभूदयाल
3. बृजलाल पुत्र प्रभूदयाल
4. अशोक पुत्र प्रभूदयाल जातियान ब्राहमण

निवासीयान ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर

------ वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्ट्रर साहव अलीवर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर (लैण्ड होल्डर)
3. ग्राम पंचायत सौंखरी जरिये सरपच ग्राम पंचायत सौंखरी

----- प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री भागचन्द जैन एडवोकेट : वकील वादी

निर्णय

दिनांक 16.01.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर हाल1366/1 रकवा 15 विस्वा ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी वादीगण के वुजुर्गान कुन्दन पुत्र नारायण 1/2 हिस्सा वो मंगू पुत्र दीपा ब्राहमण 1/2 हिस्सा के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादीगण के वुजुर्गान वक्त लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पूर्व से बदस्तूर

काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वुजुर्गान के फौत हो जाने के वाद वादीगण विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है वो मौके पर काविज है साविक रेकार्ड में विवादित आराजी वादीगण के वुजर्गान के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। कुन्दन फौत हो गया जिस कुन्दन का वारिस उसका एक लडका प्रभूदयाल है जो प्रभूदयाल वादी संख्या 1 उपरोंक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा मंगू भी फौत हो चुका है जिस मंगू ने स्वंय के जीते जी एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा वादी संख्या 2 ला04 के हक में कराया था जिस मंगू के फौत हो जाने के वाद से वादीगण संख्या 2 ला04 मंगू के 1/2 हिस्से पर काविज चले आ रहे है वो मौके पर काविज है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना विवादित आराजी कभी गेर मुमकिन पोखर रही है मगर बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियान व अधिकारियान ने विवादित आराजी को गलत रूप से खिलाफ कानून व खिलाफ मौका गै0मु0 पोखर दर्ज कर दिया जो हाल बन्दोवस्त इन्द्राज गलत है तथा वादीगण के खिलाफ शून्य है। वन्दोवस्त विभाग को तो विवादित आराजी वावत पुराने इन्द्राज ही रिपीट करने चाहिए थे। विवादित आराजी हाल राजस्व रेकार्ड में गे0मु0 पोखर दर्ज रहने से प्रतिवादीगण विवादित आराजी से वादीगण को वेदखल कर खुद कबजा करना चाहते है तथा वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। प्रतिवादीगण को कानूनी नोटिस मियादी 60 दिवस जरिये अधिवक्ता भिजवाया लेकिन प्रतिवादीगण ने इन्द्राज दुरूस्त नहीं किया है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी को अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व दावा वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आया जिसके विरूद्व दिनांक 15.10.2004 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण सं0 1–2 की ओर से पैरोकार सरकार हाजिर आये जिन्होंने अपना जवाब दावा पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण की वुजुर्गानी कभी नहीं रही। विवादित आराजी

संवत् 2057 की जमाबन्दी में गै0मु0 पोखर दर्ज है। गै0मु0 पोखर पर खातेदारी दिया जाना श्रीमान के अधिकार क्षैत्र में नहीं है। विवादित आराजी पर बन्दोवस्त से पूर्व या वाद में वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा। वन्दोवस्त विभाग ने मुताविक मौका राजस्व रेकार्ड व विधि के अनुसार सही अंकन किया है। विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोगार्थ है। जिस आराजी की खातेदारी दिया जाना गलत है अतः दावा वादीगण खारिज किया जावे।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2021 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवतफ 2057 प्रदर्श 3 नकल जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श 4 कानूनी नोटिस प्रदर्श 5 पोस्टल रसीद प्रदर्श 6,7,8 पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी प्रभूदयाल पी डब्ल्यू 1, गवाह हरीराम पी डब्ल्यू 2, गवाह हरीराम पी डब्ल्यू–3 के वयान रेकार्ड कराये है जो शामिल पत्रावली है।

पैरोकार सरकार ने अपनी ओर से हल्का पटवारी औमप्रकाश सैनी डी डब्ल्यू 1 के वयान लेखवद्व कराये है जो शामिल पत्र ावली है।

वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जवाव दावा के आधार पर वाद में कुल 4 तनकी कायम की गईं। जिनका विन्दुवार निस्तारण निम्न प्रकार से है :–

तनकी संख्या 1 इस प्रकार से है कि आया वादीगण खसरा नम्बर हाल 1366/1 रकवा 15 विस्वा वाके ग्राम मक्खनकानगला वावत इस्तकरारहक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है इस तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पूर्व में वादीगण के वुजुर्ग कुन्दन व मंगू के नाम वहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज है जो साविक रेवन्यु रेकार्ड से सावित है। सैटलमेंण्ट ने विना अधिकार के खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से विवादित आराजी से वादीगण के वुजुर्गान का नाम हटाकर उक्त

order

आराजी को गै0मु0 पोखर दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजी पर वादीगण काविज रहकर कारश्त कर रहे है उक्त आराजी काविज काश्त आराजी है गै0मु0 पोखर नहीं है। अतः वादीगण का दावा मुताविक अनुतोष डिक्री कर दिया जावे। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने कथनों की पुष्टि में आर आर डी 2010 पेज 736 से 741 व आर आर डी 1990 32 (ए) पेज 32 से 35 की छाया प्रति पेश की है।

विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने जवाव दावा के तथ्यों को रिपीट करते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पर कभी भी वादीगण या उनके वुजुर्गान का कब्जा काश्त नहीं रहा बल्कि उक्त भूमि गांव की शामलाती गै0मु0 पोखर की भूमि है जिसमें पानी भरता है। गै0मु0 पोखर पर खातेदारी देना प्रतिबन्धित है। विवादित आराजी कभी भी वादीगण के वुजुर्ग व वादीगण की खातेदारी में नहीं रही। वादीगण का दावा किसी तरह सावित नहीं है खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वयान गवाहान जवाव दावा व वादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता वादीगण व विद्वान पैरोकार की वहस पर मनन किया। हमने दावा के साथ प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। दावा में वर्णित विवादित आराजी के हाल व साविक खसरा नम्बर व उनके सामने अंकित रकवों का मिलान करें तो मिलान खैवट प्रदर्श 2 में हाल खसरा नम्बर 1366 का साविक खसरा नम्बर 870 रकवा 2 वीघा 10 विस्वा दर्ज है। प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत् 2021 में साविक खसरा नम्बर 2450/870 का रकवा 8 विस्वा दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 प्रदर्श –3 में खसरा नम्बर 1366/1 मिन रकवा 0.15 हे. यानि 12 विस्वा अंकित है। वादीगण ने दावा आराजी खसरा नम्बर 1366/1 रकवा 15 विस्वा वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर की खातेदारी की घोषणा कराने का पेश किया है। विवादित आराजी का रकवा 15 विस्वा साविक रेकार्ड व हाल जमाबन्दी के अनुसार मेल नहीं खाता है। इस प्रकार विवादित आराजी वावत वादीगण के दावा के अनुसार साविक व हाल राजस्व रेकार्ड में रकवा अलग अलग है साविक खसरा नम्बर अलग है। साविक खसरा नम्बर 270 का रकवा 2 वीघा 10 विस्वा है। सैटलमेंण्ट ने वादीगण के वुजुर्गान की खातेदारी हटाकर गै0मु0 पोखर दर्ज की है इस

कथन को वादीगण सावित नहीं कर पाये। वर्तमान में विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 पोखर दर्ज है केवल गवाहों के वयानों के आधार पर वादीगण को गै0मु0 पोखर की खातेदारी नहीं दी जा सकती। पैरोकार सरकार की ओर से डी डब्ल्यू 1 पटवारी हल्का औमप्रकाश सैनी के वयान रेकार्ड कराये है। पटवारी हल्का ने विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा ना होकर उक्त आराजी में पानी भरा रहना जाहिर किया है। जिन वयानों पर विश्वास किया जा सकता है। इस तनकी को वादीगण सावित करने में असफल रहे है। अतः यह तनकी विरूद्व वादीगण वहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 इस प्रकार से हे कि आया वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है इस तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचन से वादीगण विवादित आराजी के खातेदारी की घोषणा करवाये जाने के अधिकारी नहीं पाये गये है। गै0मु0 पोखर की आराजी से वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करा सकते। अतः यह तनकी भी विरूद्व वादीगण वहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 इस प्रकार से है कि आया वन्दोवस्त इन्द्राज मुताविक मौका सही है। इस तनकी को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। पैरोकार सरकार ने अपनी वहस में कथन किया कि विवादित आराजी हमेशा से गै0मु0 पोखर दर्ज रही है मौके पर पोखर है। बन्दोवस्त विभाग ने मुताविक मौका व पुराने रेकार्ड के अनुसार ही इन्द्राज रिपीट किये है। पैरोकार सरकार ने अपनी ओर से हल्का पटवारी के वयान रेकार्ड कराये है जिसमें पटवारी हल्का ने विवादित भूमि पर पानी भरा होना व वादीगण का कब्जा न होना जाहिर किया है। जिन वयानों पर विश्वास किया जा सकता है। अतः विवादित आराजी गै0मु0 पोखर की होना सावित है। अतः यह तनकी वहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4 दादरसी की है। तनकी संख्या 1 से 3 विरूद्व वादीगण वहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। वादीगण दावा हाजा में किसी तरह की दादरसी प्राप्त करने के

[signature]

अधिकारी नहीं है। वादीगण अपने दावा को साबित करने में असफल रहे है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है।

आदेश

दावा वादीगण वावत आराजी खसरा नम्बर 1366/1 रकबा 15 विस्वा वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर साबित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 16.01.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर